फर्द अहकाम

मालसिंह बनाम धीतरमल वगैरह

न्यायालय

स संख्या 28/17

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	30/11/23	पर वादी द्वारा बहस सुनी। पत्रावली एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो। sd	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:03:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –: रतन कोर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–28/2017

उनवान

मालसिंह चौहान पुत्र श्री निरंजनसिंह चौहान जाति चौहान राजपूत, निवासी ग्राम निवाणा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. छीतरमल पुत्र लादूराम
2. शान्ति देवी पत्नि रामेश्वर
   जाति अहीर, निवासी ग्राम निवाणा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. कमला देवी पत्नि जगमोहन जाति बागडा, निवासी ग्राम हरनाथपुरा, निवारु रोड, जयपुर।
4. जयनारायण पुत्र लादूराम
5. नन्दकिशोर पुत्र भैरुराम
   जाति अहीर, निवासी ग्राम निवाणा, तहसील जिला जयपुर।
6. मन्नी देवी पत्नि जगदीश जाति जोगी
7. चमेली देवी पत्नि हरिनारायण जिंदल जाति महाजन
   निवासी ग्राम निवाणा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. उप पंजियक, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अ0 धारा 53 व 188 रा0का0 अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :–30.11.2023

वकील वादी उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 20.10.2021 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है जिस पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1312/1 कुल रकबा 0.34 है0 वाके ग्राम देवथला, पटवार हल्का निवाणा, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के आंशिक भाग में पक्का निर्माण यथा दुकाने बनी हुई है उक्त भूमि कृषि भूमि के उपयोग में नही आ रही है। ऐसे में उक्त भूमि का तकासमा नही किया जा सकता है। अतः वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 30/11/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:03:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0/मुख्यालय)चौमूँ

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) चौमूँ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–28/2017

उनवान

मालसिंह चौहान पुत्र श्री निरंजनसिंह चौहान जाति चौहान राजपूत, निवासी ग्राम निवाणा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. छीतरमल पुत्र लादूराम
2. शान्ति देवी पत्नि रामेश्वर
   जाति अहीर, निवासी ग्राम निवाणा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. कमला देवी पत्नि जगमोहन जाति बागडा, निवासी ग्राम हरनाथपुरा, निवारु रोड, जयपुर।
4. जयनारायण पुत्र लादूराम
5. नन्दकिशोर पुत्र भैरुराम
   जाति अहीर, निवासी ग्राम निवाणा, तहसील जिला जयपुर।
6. मन्नी देवी पत्नि जगदीश जाति जोगी
7. चमेली देवी पत्नि हरिनारायण जिंदल जाति महाजन
   निवासी ग्राम निवाणा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. उप पंजियक, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरु हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रुबरु रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1312/1 कुल रकबा 0.34 है0 वाके ग्राम देवथला, पटवार हल्का निवाणा, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के आंशिक भाग में पक्का निर्माण यथा दुकाने बनी हुई है उक्त भूमि कृषि भूमि के उपयोग में नही आ रही है। ऐसे में उक्त भूमि का तकासमा नही किया जा सकता है। अतः वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

निजी ....मबलिक ....बाबत.............खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से .... तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज दि. 30.11.2023 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:03:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–20/2017
उनवान– मालसिंह बनाम छीतरमल वगै0
निर्णय दिनांक– 30.11.2023

मोहर

दस्तखत ..[signature]..
ओहदा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	3	जोड़	0

[signature]
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:03:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner